सम्पादक के नाम

आतँकवादी वो नही हैं

जिनके डर से सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान खुद को सुनवाई से दूर रखे जाने की माँग कर रहे हैं, वो भी नही हैं, जिन्होने जस्टिस लोया जैसे मामलों की निष्पक्ष जाच तक नही होने दी।

आतँकवादी वो भी नही थे जिन्होंने गोधरा, बेस्टबेकरी, गुलबर्गा सोसायटी, नत्थूपुरा के दँगो की रुपरेखा बनाई और उन्मादी भीड का नेतृत्व किया,

आतँकवादी वो भी नही माने गए जिन्होंने मस्जिद विस्फोट, समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट कराया था....

आतँकवादी वो हिन्दू गौ जिहादी भी नही माने गए जिन्होंने मुजफ्फरपुर, दादरी. मेरठ, पलवल मे बिना किसी वजह के सैकडों अल्पसंख्यकों को पीट पीट कर मार दिया था।

आतँकवादी उन्हे भी नही कहा गया, जिन्होंने दलित छात्र रोहितट्टवेमुला की सँस्थानिक हत्या को अँजाम दिया. छात्र नजीब को विश्वविद्यालय के भीतर मार देने वाले हत्यारोँ को और उन्हे बचाने वाले अधिकारियों को भी आतँकवादी नही कहा गया!!!

चार साल पहले एक विश्वविद्यालय मे मुंह पर कपड़ा लपेटकर राष्ट्र द्रोही नारे लगाने वालों को पकड़ने मे नाकाम अधिकारियों और इस प्रकरण पर झूठ , पाखन्ड और प्रोपेगैंडा करनेवाले चारण चैनलो को भी आतँकवादी नहीं कहा गया!!!

चार साल पहले नोटबन्दी कर सैकडों लोगो की मौत तथा देश की अर्थव्यवस्था को इरादतन 9 लाख करोड का घाटा पहुँचाने वाले नेताओं को भी आतँकवादी नही माना गया. इसी दौरान 2 हजार के नोट मे चिप लगा है जो जमाखोरी को रोकेगा जैसी बेबुनियाद और भ्रामक गप्प उडाने वाले तथाकथित पत्तलकारोँ को भी आतँक वादी नही कहा गया!!!

भीमाकोरेगाँव मे दलितोँ के जमा होने पर हिँसा करने वाले हिन्दू तालिबानियों को भी आतँकवादी नही कहा गया!!! और तो और, तीस जनवरी को गान्धी की तस्वीर पर गोलियां चलाने वाली भगवा नेत्री को भी आतँकवादी नही कहा गया....

आतँकवादी तो सिर्फ़ आनन्द तेलतुंबडे हैं. या विकलांग प्रोफेसर साँई जैसे लोग ही हो सकते हैं!!!

हौँ भी क्यों ना ?

सच बोलने और बन्द आँखें खोलने से बडा आतँक और क्या है???

- परमानंद अश्रुत

राजनीति में भ्रष्टाचार जैसे आरोप प्रतिबंधित किये जाने चाहिये

राजनीति में पद पर रहते कोई भी कितना कमा ले, उसकी आय वैध एवं करमुक्त घोषित होनी चाहिये । इस कमाई को "जनसेवा शुल्क" घोषित किया जाना चाहिये ।

हम जैसे मूर्ख, गधे इनफैक्ट "फेसबुकिये स्ट्रीट डॉग" केवल थोड़ी देर भौंक सकते हैं, तीन दिन तक भौंकने के बाद चुप हो जायेंगे । उसके थोड़ी दिन बाद इन्हीं में से किसी को वोट डाल आयेंगे । ये बात वो नेता भी जानते हैं । जो गालियां हम उन्हें सोशल मीडिया या कुछ मंचों से बक देते हैं, उसे वो अपने "जनसेवा शुल्क" का नगण्य सा "टैक्स" मान लेते हैं ।

अब अगर बाप-भाई - सास - ससुर-दामाद -साला किसी तरह विधायक - सांसद - मंत्री बन जाता है तो रिश्तेदार को यह कानूनी अधिकार मिलना चाहिये कि वो अपने पद का इस्तेमाल करके कितना भी कमा सके । वजह यह है कि आखिर इन्हीं में से कोई मेरी जाति का है, कोई मेरे धर्म का है इसलिये उन्हें मुझे लूटने का भी पूरा अधिकार है क्योंकि मैने उन्हें चुनने का मानक भी जाति और धर्म ही तो बनाया था ।

मैं सोशल मीडिया पर अपना ज़मकर ज्ञान बघारता हूँ, अपनी पसंद के दलों के नेताओं के गुणगान करता हूँ । यह भी नहीं सोचता कि कल तक साइकिल पर घूमने वाला ,आज मेरा वोट पाते ही बड़ी गाड़ी खरीद लेता है, बंगला बना लेता है, बच्चों को विदेश भेज देता है, यह कहाँ से आया? फिर भी जयजयकार करता हुआ अगली बार फिर उसे वोट डाल आता हूँ और अगर नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाता हूँ तो मुझे जूते से मारा जाना चाहिये ।

मैं शर्मिला चानू जैसी योद्धा को वोट नहीं डालता, मैं सदाशिव राव को वोट नहीं डालता तो मेरी यही औकात है कि मुझे नेता आकर लूटें । सो खुद की कमियां छुपाने के लिये, यही मांग है कि इनकी कमाई वैध कर दी जाये, ताकि मैं फेसबुक पर भौंक भी ना सकूँ ।

- ज्ञानेंद्र कुमार

कौन से मनु

भारत के प्राचीन साहित्य [ऋग्वेद आदि] में मनु को मानवजाति का पिता अथवा आदिपुरुष माना गया है। वैवस्वत मनु को शतपथ ब्राह्मण में शासक भी कहा गया है !ऋग्वेद में उल्लेख है कि मनु ने प्रकाश के लिये अग्नि की स्थापना की थी । मनु की कथा जल-प्रलय से जुड़ी हुई है । उत्तरवैदिक साहित्य में यह कथा भिन्न-भिन्न प्रकार से कही गयी है ।

कहीं -कहीं तो यह कथा इस प्रकार से है कि देवराज के आदेश से मनु को नौका के द्वारा कहीं भेजा गया था , किन्तु इसी बीच जलप्लावन हुआ और अधिकांश धरती डूब गयी , जिसमें देव-सभ्यता जल में समा गयी । मनु नाव में थे और एक मत्स्य के आघात से इनकी नौका हिमालय के नौबंधन नामक शिखर पर जाकर रुक गयी ।

यहाँ उल्लेखनीय बात यह है कि जलप्लावन की कथा केवल भारतीय-साहित्य में ही नहीं है । यूनानी साहित्य में ड्यूक्लियन की कहानी यही है । बेबीलोनिया के साहित्य में जिसश्रस की कहानी में ऐसा ही जलप्लावन है ! बाइबिल में नूह की कहानी है ,जिसमें यह नाव अईट पर्वत पर जा कर रुकती है ! कुरान में इस पर्वत का नाम जूदी है ।

जलप्लावन की कथा किसी न किसी रूप में चीन , ब्रह्मा , असीरिया , न्यूगिनी आदि के पुरा साहित्य में भी है । दक्षिण एशिया की कहानियों में बहुत समानता है । ईसा से 3100 वर्ष पूर्व जलप्रलय का अनुमान किया गया है । इस कथा को लेकर जयशंकरप्रसाद ने कामायनी नामक महाकाव्य लिखा है । भारत के पुराणों में राजाओं की वंशावलियाँ मनु से ही प्रारंभ हुई हैं । लेकिन भारत के पुराणों में मनु एक वैवस्वत ही नहीं हैं ।

चौदह मनुओं के नाम आते हैं- स्वायंभुव , स्वारोचिष , उत्तम , तामस . रैवत, चाक्षुष , सावर्णि आदि । भारतीय कालगणना में मन्वन्तर का बहुत महत्त्व है ! एक मनु एक मन्वन्तर का आदिपुरुष है !

इनके अतिरिक्त प्राचेतसमनु भी हैं , जिन्होंने राजनीति पर एक ग्रन्थ लिखा था । एक मनु कृशाश्व ऋषि का पुत्र था । एक मनु लोमपाद राजा का बेटा था !यह यादव था !

वह कौन सा मनु था , जिस मनु ने स्मृति भी लिखी थी , जिसका उल्लेख निरुक्त में है और उसके अनुसार पिता की संपत्ति में पुत्र और पुत्री का समान अधिकार है । लेकिन यह स्मृति यास्क के पहले विद्यमान थी।

वर्तमान में उपलब्ध मनुस्मृति किसकी रचना है ? वाचिकपरंपरा से इसने कब लिखित रूप ग्रहण किया ? इसमें प्रक्षिप्त अंश कब-कब जुड़ते रहे ? यह प्रामाणिक रूप में नहीं कहा जा सकता ,क्योंकि इसमें बहुत बाद के संदर्भ [बुद्ध, जिन आदि] जुड़े हुए हैं ,यदि यह रचना प्राचीन होती तो ऐसे संदर्भ कहाँ से आ जाते ?

अनेक विद्वानों का मत तो यह है कि यह तीसरी शताब्दी के आसपास की रचना है ,जिसमें यथासमय प्रक्षिप्त अंश भी जुड़ते रहे !शंगेयराघव का तो स्पष्ट मत है कि मनुस्मृति में जो नियम-व्यवस्था मिलती है ,वह परवर्तीकाल के किसी मनु की नियम-व्यवस्था का और भी परवर्ती तथा परिवर्तित रूप है , वैवस्वत मनु के नियमों के लिये हमें वेद तथा पौराणिक-कथाओं में प्रतिबिंबित समाज को देखना चाहिये ।

- राजीव रंजन चतुर्वेदी

जस्टिस मार्कंडेय काटजू के सीजेआई रंजन गोगोई से चार सवाल

भारत के मुख्य न्यायाधीश को सीजर की पत्नी की तरह किसी भी संदेह से परे होना चाहिए। लेकिन भारत के सुप्रीम कोर्ट में कुछ हाल की घटनाएं जिसमें हालिया राम जन्मभूमि के मामले की सुनवाई में गैरमामूली देरी और सुनवाइयों का लगातार स्थगित होना शामिल है, (एक तारीख को तय करने के लिए दूसरी तारीख आदि) मौजूदा भारत के मुख्य न्यायाधीश के बारे में बहुत सारे सवाल खड़े करती हैं। जिनका सबसे बेहतर तरीके से उनके द्वारा ही जवाब दिया जा सकता है।

सुप्रीम कोर्ट का एक पूर्व जज, जिसमें सेवा करने का मुझे सम्मान प्राप्त हो चुका है, होने के नाते एक पवित्र संस्थान में जो हो रहा है उसको लेकर मैं बेहद चिंतित हूं। और मैं लोगों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा सीजेआई रंजन गोगोई से निम्नलिखित सवाल पूछता हूं जिसका उन्हें सार्वजनिक रूप से उत्तर देना चाहिए। आखिरकार एक लोकतंत्र में जनता ही सर्वोच्च है। और सभी राज्य की अथॉरिटी और संस्थाएं (यहां तक इसमें सीजीआई भी शामिल हैं) जनता के नौकर हैं और उसी के प्रति जवाबदेह हैं।

1. जस्टिस गोगोई की बेटी की दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस वाल्मीकि मेहता के बेटे से शादी हुई है। वाल्मीकि मेहता के खिलाफ गंभीर आरोप थे जिसकी तब के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस ठाकुर द्वारा जांच की गयी थी और जिसमें उन्हें सही पाया गया था। इस तरह से जस्टिस ठाकुर की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की कोलेजियम ने मार्च 2016 में जस्टिस वाल्मीकि की दूसरे हाईकोर्ट में तबादले की संस्तुति की थी।

आमतौर पर इस तरह की संस्तुतियों पर भारत सरकार एक-दो सप्ताह के भीतर मुहर लगा देती है। लेकिन आश्चर्यजनक तौर पर इस केस में भारत सरकार ने तकरीबन एक साल तक संस्तुति वाली फाइल को कोल्ड स्टोरेज में रखे रखा। इस बीच तब के सीजेआई ठाकुर ने संस्तुति के लागू न किए जाने पर बार-बार खुली अदालत में नाराजगी जाहिर की थी। उन्होंने यहां तक धमकी दी थी कि गंभीर आरोप होने के चलते वो दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को जस्टिस वाल्मीकि से न्यायिक काम छीनने का निर्देश दे देंगे।

लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला। जस्टिस ठाकुर जब जनवरी 2017 में रिटायर हो गए और एक ज्यादा जिम्मेदार जज जस्टिस केहर सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई बने तब भारत सरकार द्वारा फाइल (राष्ट्रपति को इस पर हस्ताक्षर करने की बजाय) सुप्रीम कोर्ट को वापस लौटा दी गयी। और उसके बाद सीजेआई केहर की अध्यक्षता वाली नयी कोलेजियम ने पहले की संस्तुति को रद्द कर दिया। जिसके नतीजे के तौर पर वाल्मीकि मेहता दिल्ली हाईकोर्ट के आज भी जज बने हुए हैं। इस रहस्य के पीछे क्या सचाई है?

जो सूचना मुझे है लेकिन इसकी तथ्यगत जानकारी या फिर कुछ और का जवाब केवल जस्टिस गोगोई ही दे सकते हैं, अपने समधी के तबादले की संस्तुति की जानकारी पाने पर गोगोई पीएम मोदी के पास गए (या फिर एक वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री के पास) और उससे जस्टिस वाल्मीकि मेहता का तबादला नहीं होने देने की भीख मांगी। क्योंकि वरिष्ठता के हिसाब से गोगोई अगले सीजेआई की कतार में थे, लिहाजा सरकार ने उनके निवेदन को स्वीकार कर लिया और बजाय हस्ताक्षर के लिए राष्ट्रपति के पास भेजने के फाइल को कोल्ड स्टोरेज में रख दिया।

अगर ये प्रकरण सही है तो निश्चित तौर पर गोगोई ने बीजेपी सरकार से एक सहयोग लिया जिसे उन्हें बदले में लौटाना था। और सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी घटनाओं में इसकी व्याख्या देखी जा सकती है।

2- वाल्मीकि मेहता का बेटा (गोगोई का दामाद) एक वकील है। ऐसा माना जाता है कि शादी के बाद उसकी प्रैक्टिस और आय में एकाएक उछाल आ गया। इसलिए गोगोई को इस बात को बताना चाहिए कि शादी से पहले और बाद में उनके दामाद की क्या आय थी।

3- दिल्ली हाईकोर्ट के तीन जज, जस्टिस प्रदीप नंदराजोग (मौजूदा समय में राजस्थान हाईकोर्ट के सीजेआई), जस्टिस गीता मित्तल (जम्मू-कश्मीर कोर्ट के मौजूदा सीजे) और जस्टिस रविंदर भट्ट सभी दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस संजीव खन्ना से वरिष्ठ थे लेकिन इन सबको पीछे छोड़कर खन्ना को प्रोन्नति दे दी गयी। क्यों? सभी 3 जजों (जो उस समय हाईकोर्ट के न्यायाधीश थे।) की ईमानदारी और क्षमता का निष्कलंक रिकार्ड है और वास्तव में जस्टिस नंदराजोग की प्रोन्नति की संस्तुति 12.12.2018 को बैठी सुप्रीम कोर्ट की कोलेजियम ने दी थी। उस संस्तुति पर कोलेजियम के सभी पांचों सदस्यों का हस्ताक्षर हुआ था। लेकिन उसके बाद सीजेआई गोगोई ने आराम से उसे अपनी पाकेट में डाल लिया। और उसे भारत सरकार के पास नहीं भेजा जैसा कि आमतौर पर किया जाता है। क्यों?

मैंने जस्टिस लोकुर से बात की जो उस समय कोलेजियम के सदस्य (और गोगोई के बाद वरिष्ठता में दूसरे नंबर पर थे) थे। उन्होंने मुझे बताया कि संस्तुति और उस पर हस्ताक्षर के बाद उन्होंने लगातार गोगोई के आवास पर ये पूछने के लिए फोन किया कि क्या संस्तुति को सरकार के पास भेजा गया। लेकिन हर बार कोई सेक्रेटरी फोन उठाता और कहता कि सीजेआई की तबीयत ठीक नहीं है और गोगोई ने फिर लौटकर कभी फोन नहीं किया। बाद में गोगोई ने कहा कि संस्तुति सरकार के पास इसलिए नहीं भेजी गयी क्योंकि संबंधित जजों से संपर्क नहीं किया जा सका था। हालांकि इस तरह की राय-बात के लिए एक-दो दिन का समय लगता है। (जैसा कि मैं निजी अनुभव से जानता हूं)

इन तीन जजों का पीछे किया जाना इंदिरा गांधी सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट के तीन वरिष्ठ जजों को पीछे छोड़े जाने की याद दिला देता है। और इसने इन तीन जजों को हतोत्साहित करने के अलावा पूरी न्यायपालिका में एक गलत संदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट के एक वरिष्ठ जज ने वास्तव में इस बात का इशारा किया था कि ये बीजेपी सरकार के निर्देश पर हुआ है। इस बात में कोई शक नहीं कि कोलेजियम में दूसरे जज भी थे जिन्होंने जस्टिस खन्ना की संस्तुति की थी लेकिन वो उस गोगोई के सामने समर्पण कर दिए जिसने जस्टिस खन्ना के नाम को जबरन मढ़ दिया। और उसका कोई कारगर प्रतिरोध भी नहीं हुआ। (जैसा कि हमें सुप्रीम कोर्ट के ढेर सारे जजों ने बताया था जिनसे मैंने संपर्क कर निजी तौर पर बातचीत की थी।)

जस्टिस खन्ना से वरिष्ठ इन तीन जजों के खिलाफ अगर कुछ था तो उसे जनता को जानने का हक है। अगर जस्टिस नंदराजोग के खिलाफ 12.12.2018 को कुछ नहीं था जब उस समय की कोलेजियम ने उनके नाम के प्रोन्नति की संस्तुति की थी। तो ऐसा क्या तीन हफ्तों के बीच एकाएक घटित हो गया? ये सब कुछ एक रहस्य है।

इससे भी आगे प्रोन्नत किए गए जस्टिस माहेश्वरी को उस कोलेजियम ने विशेष तौर पर खारिज कर दिया था जिसकी 12.12.2018 को बैठक हुई थी। (जैसा कि उस कोलेजियम के सदस्य जस्टिस लोकुर ने मुझको बताया था)। क्या वो तीन हफ्ते के भीतर एकाएक सक्षम हो गए?

4- एक या फिर दूसरे बहाने के जरिये बार-बार राम जन्मभूमि के केस को क्यों स्थगित किया गया? और एक तारीख की फिक्सिंग के लिए क्यों तारीख फिक्स की गयी? एक बार फिर रहस्य। ये क्या किसी तरह का लेन-देन था? केवल गोगोई ही उत्तर दे सकते हैं।

होमो सेपियंस की वर्चस्व यात्रा

अशफाक अहमद

पिछले कई हजार सालों से हम अपनी प्रजाति को देखने के इतने आदी हो गये हैं कि हमारे लिये यह कल्पना करना भी मुश्किल है कि पृथ्वी पर कभी मनुष्यों की और भी प्रजातियां रहा करती थीं लेकिन पूर्वी अफ्रीका से होमो सेपियंस नामी जिस प्रजाति का उभार हुआ, उसने अफ्रीका से निकल कर पूरे वैश्विक पटल पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया और बाकी प्रजातियों का वजूद ही मिट गया।

तब से हम अकेली प्रजाति हैं और बड़े आराम से शुरुआती मानवों के रूप में मनु शतरूपा, आदम हव्वा टाईप कल्पना को गढ़ लेते हैं और आंख बंद कर के उन पर यकीन कर लेते हैं लेकिन सोचिये कि अगर वे विलुप्त हुई प्रजातियां भी सर्वाइव कर जातीं तो इन कहानियों का क्या होता।

फिर इन आदिम जोड़ियों की पहचान क्या होती? किस हिसाब से मरने के बाद वाली कहानियाँ गढ़ी जातीं और पुनर्जन्म की अवधारणा फिर इन प्रजातीय सीमाओं में बंधी होती या आत्मा सेपियंस से निकल कर डेनिसोवा और उससे निकल कर नियेंडरथल्स को भी सैर कर रही होती और सभी प्रजातियां क्या एक जैसे ईश्वरीय कांसेप्ट पर यकीन कर रही होतीं?

बहरहाल अगर हम मानव विकास यात्रा को ठीक से समझें तो होमो इरेक्टस ने अतीत में सबसे लंबी पारी खेली है और इसका रिकार्ड तोड़ना हमारे यानि वर्तमान प्रजाति के बस की भी बात नहीं। होमो सेपियंस डेढ़ लाख साल पहले से सफर शुरु करते हैं और सत्तर हजार साल पहले वे अफ्रीका से निकल कर धीरे-धीरे विश्व भर में फैल जाते हैं..

और शुरुआती संघर्षों को छोड़ दें तो जब से कृषि क्रांति हुई और यह प्रजाति संगठित समाजों के रूप में परिपक्व होनी शुरू हुई तब से अब तक बहुत छोटे अर्से में ही हमने इतनी तरक्की कर ली है कि अगले बस एक हजार साल में ही हम दो तरह के परिणामों की संभावना पर सिमट कर रह गये हैं कि या तो हम अपने प्लेनेट को छोड़ कर अंतरिक्ष में विचरने वाली स्पिसीज बन के रह जायेंगे या यहीं लड़ भिड़ कर, अकाल, भयंकर रूप से असंतुलित होंती पृथ्वी की प्रतिक्रियात्मक आपदाओं या किसी तरह के ग्लोबल संक्रमण का शिकार हो कर खत्म हो जायेंगे।

और हमारी पृथ्वी पर कुल यात्रा दो लाख साल भी न रह पायेगी जबकि होमो इरेक्टस ने बीस लाख साल लंबी पारी खेली है। हम ठीक-ठीक नहीं जानते कि होमो सेपियंस के रूप में वर्गीकृत की जाने वाली प्रजाति कब, कहां और कैसे विकसित हुई लेकिन वैज्ञानिक इस बात पर एकमत हैं कि पूर्वी अफ्रीका के कई हिस्सों में डेढ़ लाख साल पहले वे सेपियंस वजूद में आ चुके थे जो हमारी तरह दिखते थे।

ऐसे में जहन में यह सवाल उठना लाजमी है कि अगर हम सेपियंस का उदभव वहां से ही मानें तो डेढ़ लाख साल में हम कहां से कहां पहुंच गये तो आखिर होमो इरेक्टस बीस लाख साल तक वजूद में रहने के बावजूद कैसे कोई भी तरक्की न कर पाये, और लाखों साल के सफर में वे अपनी शुरुआती अवस्था में ही कायम रहे और एक दिन लुप्त हो गये.. आखिर क्या फर्क रहा उनके और हमारे बीच?

इसका कोई क्लियर जवाब किसी के पास नहीं, बस सबकुछ अनुमानों पर ही आधारित है। हां अगर हम इसे समझना चाहें तो यूँ समझ सकते हैं कि मनुष्यों की सभी प्रजातियां किसी कपि से इवॉल्व हुई थीं लेकिन उनमें वे गुण हमेशा बने रहे और वे गुण आज भी सारे जीवों में (मनुष्यों को छोड़ कर) विद्यमान हैं कि उनका सारा जीवन तीन बिंदुओं के इर्द गिर्द ही चलता है.. भोजन, खतरा और प्रजनन।

भाषा मानव विकास यात्रा में बहुत बाद की चीज है.. पर कम्यूनिकेशन के तय संकेत शुरुआती दौर से हैं और सभी जीवों में पाये जाते हैं। सभी बड़े जीवों के बीच कम्यूनिकेशन इन्हीं तीन बिंदुओं पर आधारित होता है। मनुष्यों की शुरुआती प्रजातियां भी इससे मुक्त नहीं थीं। थोड़े क्रूर शब्दों में कहा जाये तो वे जानवरों से इवाल्व हुए थे और जानवरों जैसा ही जीवन जीते थे।

छोटे-छोटे समूह होते थे (बिना भाषा और परस्पर सहयोग के लिये साझा मिथकों के अभाव में बड़े समूह नहीं बन सकते) और कोई मुस्तकिल ठिकाना नहीं। भोजन की तलाश में मारे-मारे फिरना और अपनी सारी ऊर्जा इस खोज में खपा देना। इनमें कोई आज के जैसी वर्जनायें नहीं होती थीं.. यानि एकल पति पत्नी सम्बंध जैसी। कोई किसी के साथ भी सो सकता था और बच्चों की कोई पैतृक पहचान निश्चित नहीं होती थी, वे समूह की साझा सम्पत्ति होते थे।

उन्होंने अपनी पूरी यात्रा इन्हीं तीन बिंदुओं पर सीमित रह कर की और उस दौर की सभी प्रजातियों (बाद के होमो सेपियंस समेत) ने इसी नियम का पालन किया और उन्हें भोजन खोजी या भोजन संग्रह कर्ता के रूप में परिभाषित किया गया। कोई भी उपजाऊ घाटी या क्षेत्र पांच सौ के लगभग आदिम मनुष्यों का पेट पाल सकती थी तो उसी हिसाब से उस क्षेत्र में समूह रहते थे और सदस्यों की संख्या बढ़ जाने पर वे अलग गुट में बंट जाते थे। यह सब लाखों साल यूँ ही चलता रहा और वैसी कोई तरक्की उन प्रजातियों ने नहीं की, जिसकी हम कल्पना कर सकते हैं या जिसे हमने देखा है।

फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि होमो सेपियंस ने पूरी दुनिया पर वर्चस्व स्थापित कर लिया, बाकी प्रजातियों को खत्म कर दिया और एक तरह से देखा जाये तो सिर्फ दस हजार सालों में इतनी तूफानी गति से तरक्की कर डाली कि पृथ्वी तो पृथ्वी, इंसान अब अंतरिक्ष में विचरते दूसरे ग्रहों पर भी बसने के बारे में सोचने लगा है।

इस बात के लिये एक धारणा यह है कि सत्तर हजार साल और तीस हजार साल पूर्व के वक्त में सोचने और संप्रेषित करने के तरीकों के अविर्भाव को, जिसे हम संज्ञानात्मक क्रांति या कॉग्नीटिव रिवॉल्यूशन के नाम से जानते हैं.. किसी चीज ने जन्म दिया जिसके बारे में हम पक्का कुछ नहीं जानते लेकिन एक मान्य सिद्धांत यह है कि आकस्मिक जेनेटिक म्यूटेशंस ने सेपियंस के दिमाग की अंदरूनी वायरिंग को बदल कर उनको अपूर्व ढंग से सोचने, और भाषा का इस्तेमाल करते हुए संप्रेषण में सक्षम बना दिया। अब यह म्यूटेशन सेपियंस के बजाय नियेंडरथल्स के दिमाग में क्यों नहीं हुआ जो सेपियंस से साईज में बड़ा मस्तिष्क रखते थे.. इसे बस संयोग की ही संज्ञा दी जा सकती है।

होमो इरेक्टस और होमो सेपियंस के बीच तीस हजार साल पहले हुई भाषा क्रांति और बारह हजार साल पहले हुई कृषि क्रांति ही वह प्रमुख अंतर थे जिन्होंने उनके मुकाबले हमें इतने कम वक्त में यहां ला खड़ा किया और इस फास्टेस्ट विकास यात्रा का सबसे भयानक पहलू यह भी है कि मात्र पांच सौ साल पहले हुई वैज्ञानिक क्रांति ने न सिर्फ हमारे विकास को असीमित गति दी है बल्कि बहुत तेजी से यही क्रांति हमें अपने या प्लेनेट के अंत की तरफ भी ले जा रही है।